

महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM
(TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण-11/2/2025-26/

No.Au/Trg/11-2/2025-26/

दिनांक: 24 अक्टूबर 2025

Date: 24 October 2025

अनुभागीय आदेश सं.249 / SECTIONAL ORDER NO. 249

इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'लोक निर्माण की लेखापरीक्षा' के लिए नामित किया गया है, जो 27.10.2025 से 31.10.2025 तक आरसीबीएंडकेआई चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।

The following officers/officials of this Office are nominated for the All India Training Programme 'Audit of Public Works' scheduled to be conducted from 27.10.2025 to 31.10.2025 at RCB&KI Chennai.

Sl. No	Name & Designation (Smt./Shri)	EMP ID	Designation	Section
1.	Aravind Narayanan	3101683	AAO	AMG II
2.	Om Jee Tiwari	3101735	AAO	AMG II

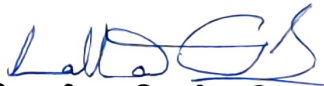
प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

संबंधित मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया जाए।

Headquarters concerned may ensure that the nominated officials are informed regarding the training in advance.

(महालेखाकार के आदेशानुसार)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण
Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ./प्रशा., रोकड, हक्र.ले.प)-I)/(ले.प.-II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए